

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन)
अधिनियम 1970

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1970

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 26 जून, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 14 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 24 दिसम्बर, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, तथा उसके पार्श्व शीर्षक में, शब्द 'अध्यक्ष और सभापति' के स्थान पर शब्द 'अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति,' रख दिये जायें। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1952 की धारा 5 का संशोधन।

3—मूल अधिनियम की धारा 5—क निकाल दी जाय।

धारा 5—क का निकाला जाना।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 26 जून, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

Price 05 Paise

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (OFFICERS' SALARIES
AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) ACT, 1970

(U. P. Act No. 32 of 1970)

*[Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal
(Adhikari yon-ke-Vetan Tatha Bhatte) (Sanshodhan), Adhiniyam, 1970].

AN
ACT

further to amend the U. P. State Legislature (Officers' Salaries and Allowances)
Act, 1952

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as
follows :

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Officers' Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 1970.

Short title.

2. In section 5 of the U. P. State Legislature (Officers' Salaries and Allowances) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act, and in its marginal heading, for the words "the Speaker and the Chairman" or the words "Speaker and Chairman," wherever occurring, the words "the Speaker, the Chairman, the Deputy Speaker and the Deputy Chairman" shall be substituted.

Amendment of section 5 of U. P. Act no. II of 1952.

3. Section 5-A of the principal Act shall be omitted.

Omission of Section 5-A.

*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated June 26, 1970).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on June 26, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 14, 1970).

(Received the Assent of the Governor on December 23, 1970 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated December 24, 1970).